बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

संचिका सं० – 5/म०स०ज०शि०(लो०स०क०)14/2016 582 पटना–15, दिनांक 25/10/2016

संकल्प

विषय :– **लोकहित में सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं के संबंध में नागरिकों से सुझाव प्राप्त करने एवं सकारात्मक सुझावों के आलोक में आवश्यकतानुसार प्रशासनिक व्यवस्था, नीतियों एवं कार्यक्रमों में यथावश्यक संवर्द्धन करने हेतु "लोक संवाद कार्यक्रम" को प्रारंभ किये जाने के संबंध में।**

प्रजातांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की अहम भूमिका होती है एवं सरकार की निर्धारित नीतियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं में उनकी सहभागिता एक अहम मुद्दा है क्योंकि नागरिकों के हित के उद्देश्य से ही इनका कार्यान्वयन किया जाता है। इसके आलोक में राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया जाता है :–

02. आधारभूत संरचना, उद्योग, प्रशासनिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक संस्थायें, मानवाधिकार, एवं सामाजिक कल्याण आदि प्रक्षेत्रों में सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं के संबंध में नागरिकों से लोकहित से जुड़े सुझाव प्राप्त करने के लिए "लोक संवाद कार्यक्रम" का आयोजन मुख्यमंत्री आवास 1, अणे मार्ग, पटना या मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित 'संवाद', पटना या अन्यत्र (पटना अथवा पटना से बाहर) माह के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सोमवार (राजपत्रित अवकाश को छोड़कर) को किया जाएगा।

(i) **प्रथम सोमवार** – आधारभूत–संरचना एवं उद्योग (सड़क, भवन, बिजली, पेयजल, सिंचाई, उद्योग आदि) से संबंधित सुझाव।

(ii) **द्वितीय सोमवार** – प्रशासनिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक संस्थाएं एवं मानवाधिकार (पुलिस, सामान्य प्रशासन, पंचायती राज संस्था, नगर निकाय, सहकारी संस्थाएं (पैक्स) आदि से संबंधित सुझाव।

(iii) **तृतीय सोमवार** – सामाजिक प्रक्षेत्र (स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कल्याण आदि) से संबंधित सुझाव।

03. **"लोक संवाद कार्यक्रम"** के आयोजन की प्रक्रिया निम्न रूपेण है :–

(i) राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से उक्त कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा लोकहित से जुड़े सुझाव पत्रों को ऑन–लाइन अथवा डाक से प्राप्त कर निबंधित किया जाएगा।

(ii) कार्यक्रम हेतु निबंधित सुझाव पत्रों में से विषयवार चुने गये अधिकतम 50 लोकहित से जुड़े सुझाव पत्रों को संबंधित सोमवार के संवाद कार्यक्रम में शामिल किया जायेगा। शेष चयनित सुझाव पत्रों को अगले विषयवार निर्धारित सोमवार के लिए अग्रसारित कर दिया जाएगा। समरूप सुझाव प्राप्त होने पर आवेदकों को एक साथ आमंत्रित किया जा सकेगा। यदि पूर्व में समरूप सुझाव विचाराधीन हैं तो आवेदक को तद्नुसार सूचित किया जाएगा।

(iii) ऑन–लाइन अथवा डाक से प्राप्त सुझाव पत्र के द्वारा लोकहित से जुड़े सुझावों को अधिकतम 200 शब्दों में ही देना होगा।

(iv) कार्यक्रम में चयनित व्यक्तियों को एस०एम०एस०/ई० मेल/दूरभाष के माध्यम से सूचना दे कर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया जायेगा। कार्यक्रम हेतु चयनित व्यक्तियों को ही कार्यक्रम आयोजन के दिन एक यूनिक निबंधन कोड/संख्या के आधार पर कार्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा।

(v) आवेदक को लोकहित से जुड़े सुझाव (ऑन–लाइन अथवा डाक से) दर्ज कराते समय अपना पूर्ण पत्राचार का पता, मोबाइल/दूरभाष संख्या एवं पहचान पत्र (वोटर आई०डी०/आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेन्स/आई०डी०/पासपोर्ट इत्यादि) की संख्या, ईमेल (अगर हो) दर्ज किया जाएगा।

(vi) आवेदक द्वारा ऑन–लाइन अथवा डाक से प्रेषित लोकहित से जुड़े सुझाव के विषय के अनुसार उन्हें निर्धारित सोमवार को आमंत्रित किया जायेगा। आवेदक अपना मूल सुझाव पत्र को भी साथ लेकर आवेंगे, जो माननीय मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किया जाएगा।

(vii) उपर्युक्त कार्यक्रम हेतु सॉफ्टवेयर तैयार किया जायेगा एवं डाक से प्रेषित लोकहित से जुड़े सुझावों को स्कैन कर सॉफ्टवेयर में संधारित किया जायेगा। कार्यक्रम में प्राप्त सुझाव पत्र को स्टेट डाटा सेंटर/राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, पटना इकाई के सर्वर से संचालित किया जाएगा।

(viii) प्रत्येक सोमवार को विषय से संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव एवं माननीय मंत्री को इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहेंगे।

(ix) इस कार्यक्रम के आयोजन में जो राशि व्यय होगी उसका वहन मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग करेगा।

04. अनुश्रवण – उपर्युक्त कार्यक्रम में प्राप्त सुझाव पत्रों का अनुश्रवण मुख्यमंत्री सचिवालय एवं मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा किया जाएगा।

05. प्रचार–प्रसार – इस कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार का कार्य सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना करेगा।

06. इस कार्यक्रम में किसी विभाग को शामिल करने/हटाने या कार्यक्रम के तिथि, समय, स्थान या विषय में संशोधन करने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री को होगा।

आदेश – आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को "बिहार राजपत्र" के असाधारण अंक में प्रकाशित की जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(ब्रजेश मेहरोत्रा) 25/10/16
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 5/म०स०ज०शि०(लो०स०क०)14/2016.....582..... पटना–15, दिनांक 25/10/, 2016

प्रतिलिपि :– मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सचिव/आप्त सचिव/राज्यपाल के प्रधान सचिव/सभी मंत्रिगण के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ब्रजेश मेहरोत्रा) 25/10/16
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 5/म०स०ज०शि०(लो०स०क०)14/2016...582... पटना–15, दिनांक 25/10/, 2016

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव के आप्त सचिव/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/10/16

(ब्रजेश मेहरोत्रा)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 5/म०स०ज०शि०(लो०स०क०)14/2016...582... पटना–15, दिनांक 25/10/ 2016

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/10/16

(ब्रजेश मेहरोत्रा)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 5/म०स०ज०शि०(लो०स०क०)14/2016...582... पटना–15, दिनांक 25/10/ 2016

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/ई–गजट, वित्त विभाग (सी०डी०) सहित बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि संकल्प की मुद्रित 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जाए।

25/10/16

(ब्रजेश मेहरोत्रा)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 5/म०स०ज०शि०(लो०स०क०)14/2016...582... पटना–15, दिनांक 25/10/, 2016

प्रतिलिपि :– अपर सचिव/संयुक्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/उप सचिव/अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/10/16

(ब्रजेश मेहरोत्रा)
सरकार के प्रधान सचिव